न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 06 / 2020

1 झीमा देवी पत्नी सुखराम।
2 बजरंगलाल पुत्र सुखराम।
3 औंकार पुत्र सुखराम।
4 हरिराम पुत्र सुखराम समस्त जाति जाट निवासीगण बाजला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5 पतासी पुत्री सुखराम पत्नी खेमचन्द।
6 परमेश्वरी पुत्री सुखराम पत्नी हवासिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ठिचौली की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 मन्नी देवी पुत्री सुखराम पत्नी चंदगीराम।
8 विमला पुत्री सुखराम पत्नी राजेन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण लादुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 19.12.2019 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी झीमा देवी आदि
बनाम सरकार आदि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 49 / 2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री कमलेश, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 49/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बाजला की सरहद में गत भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 179 रकबा 3.17 हैक्टेयर कायम हुए पर अपीलांट के पूर्वज सुखराम पुत्र जीताराम काश्तकारी कानून प्रभाव में आने से पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। जमाबंदी सम्वत 2012 से 2016, 2021 से 2024 में सुखराम का नाम रैवन्यू रिकार्ड में दर्ज रहा है। 24.10.1967 में सुखराम ने राजकोष में इस भूमि बाबत 56 रूपये 55 पैसे जरिये चाला संख्या 43 द्वारा जमा भी करवायें है। सुखाराम की मृत्यु के पश्चात इनके वारिसान अपीलान्टस का आज तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। गांव के सरपंच ने उक्त भूमि कस्टोडियन में दर्ज करवा दी व अब स्वयं भूमि को हड़पने के लिए हल्का पटवारी व तहसीलदार से मिलकर अपीलांट के उपर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करवा दी, जिसकी अपील माननीय एडीएम साहब के यहां झुन्झुनू पेश की गई, जो स्वीकार की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार ने गलत कार्यवाही की। रैवेन्यू रिकार्ड गलत होने की जानकारी अपीलांट को पहले नहीं थी, इस पर अदालत मातहत के यहां उक्त उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये। दावा अभी लम्बित हैं। प्रार्थना पत्र में दिनांक 31.10.2017 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी का पाबंद किया गया। तत्पश्चात दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

19.12.2019 को फाईनल आदेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने कानून की मंशा से बाहर जाकर दिनांक 19.12.2019 का आदेश पारित किया है, इस आदेश में प्रथम दृष्टया मामला किस के हक में है। अपूरणीय क्षति किसको होनी है व सुविधा का संतुलन किसके हक में है। इन तीनों ही बिन्दुओं का उल्लेख नहीं किया। इसलिए उक्त आदेश आदेश की तारीख में नहीं आता है व प्रथम दृष्टया ह निरस्त होने योग्य है क्योंकि जब से रेवेन्यू रिकार्ड तैयार हुआ है तब से लेकर आज तक अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। इसलिए अपीलांट के हक में प्रथम दृष्टया मामला था, सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के हक में है। अगर आज बीमा कानून की पालना किये बिना सुनवाई को मौका दिए अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। इन सभी तथ्यों को विचारण न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि कस्टोडियन की है। अपीलांट की खातेदारी की नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य इस पत्रावली में नहीं है। इसके अभाव में विचारण न्यायालय ने अपीलांट का धारा 212 का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि कस्टोडियन की है। अपीलांट की खातेदारी की नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य इस पत्रावली में नहीं है। इसके अभाव में विचारण न्यायालय ने अपीलांट का धारा 212 का आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(केम्प झुन्झुनू)

खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर